न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 235/2006 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. श्रीराम पुत्र प्रभू

2. छीतर पुत्र बृजन (फौत)

3. जगराम (फौत)

3/1 सुनहेरी बेवाह जगराम

3/2 रमेश कुमार पुत्र जगराम

3/3 मुकेश कुमार पुत्र जगराम

3/4 दिनेश कुमार पुत्र जगराम निवासीयान सीलगांव तह0 मुंडावर

4. शिम्भूदयाल

5. रामकुंवार पुत्रान कन्हैया जाति चमार

6. हरना पुत्र प्रभू कुम्हार (फौत)

7. उदमी पुत्र हबडू जाति चमार (फौत)

निवासीयान ग्राम सीलगांव तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:---- वादीगण अपीलांटस

बनाम

1 मांगेराम पुत्र सुरजन चमार

2 मंत्री पुत्र बुधा कुम्हार (फौत)

2/1 भोलू राम पुत्र मंत्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2/2 इमरती देवी

2/3 फूलादेवी

2/4 चन्दा देवी

2/5 लक्ष्मीदेवी

2/6 संतोष देवी पुत्रीयान मंत्री जाति कुम्हार निवासीयान ग्राम सीलगांव तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

3 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मुण्डावर राज स्टेट जरिये तहसीलदार मुण्डावर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी मुण्डावर दिनांक 27.10.06

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :- श्री वीरेन्द्र मेहरा

निर्णय दिनांक 17.02.2021

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 106/2000 में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2006 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद बाबत इश्तकरारहक एवं तकासमा खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के जिम्मन नम्बर 02 वर्णित आराजीयात पर वादीगण बहैसियत गैर खातेदार काबिज चले आ रहे हैं । अरसा दराज से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है । विवादित आराजीयात का रकबा काफी ज्यादा है । जिसमें से प्रतिवादीगण और अन्य लोगों ने पटटा ले लिया है । प्रतिवादीगण सुरजन वगैरा ने अपने कब्जे काश्त अलोटथुदा आराजी के अलावा सम्वत 2029 में वादीगण की कब्जे वाली भूमि पर अपने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

नाम का अंकन करा लिया है । जो गलत है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने अपने वाद पत्र एवं अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित भूमि का रकबा काफी बडा है, जिसमें अपीलांट का भी कब्जा चला आ रहा है । इस आराजीयात में से रेस्पो0 प्रतिवादीगण ने पटटा ले लिया है । सम्वत 2029 में हमारे कब्जे वाली भूमि को भी प्रतिवादीगण ने अपने नाम करा लिया है । जबकि उक्त रकबे पर अरसे दराज से हमारा ही कब्जा चला आ रहा है । हमने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया है । परन्तु विद्वान तहत अदालत ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर वाद पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि कस्टोडियन भूमि है । जिस पर अरसे दराज से हमारा कब्जा चला आ रहा है । हमने कीमत जमा कराकर पटटा लिया है । हमारी भूमि से अपीलांट का कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों गौर किया । खसरा गिरदावरी सम्वत 2014–15 में विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 179 पर अमरा, सुरजन वगैरा को पटटेदारान गैर मौरूसी जरिये कस्टोडियन डिपार्टमैंट दर्ज किया हुआ है । जमाबन्दी सम्वत 2056 में रेस्पो0 मांगेराम को 1/2 भाग व मंत्री को 1/2 भाग का गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है । वादीगण अपीलांटस का कथन है कि विवादित भूमि पर उसका कब्जा चला आ रहा है । परन्तु इस सम्बन्ध में उसने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है । उसने अन्य लोगों को भूमि आवंटित होना बताया है, परन्तु इस सम्बन्ध में भी कोई आवंटन आदेश प्रस्तुत नहीं हुआ है । राजस्व रेकार्ड हाल में प्रतिवादीगण को गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है । यहां यह तथ्य भी गौर तलब है कि वादीगण अपीलांटस द्वारा जिन खसरा नम्बरों का रेकार्ड प्रस्तुत किया गया है, वह कस्टोडियन भूमि है, जिस पर कस्टोडियन नियमों के तहत ही अनुतोष पाया जा सकता है । टिनेंसी एक्ट के तहत खातेदारी नहीं दी जा सकती । विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में जो तनकीवार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

विवेचना की है, वह विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2006 यथावत रखे जाते हैं।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । तहत पत्रावली लौटाई जावे ।

(अशोक कुमार सांखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर